

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 4655/2015
मदन मोहन जाट बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक: 09.11.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री जावेद मो० खान, अधिवक्ता वास्ते,
श्री तरुण जैन, अधिवक्ता- याची की ओर से।
श्री राजेन्द्र सिंह राघव, लोक अभियोजक।

अधिवक्ता याची श्री तरुण जैन की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जावेद मोहम्मद खान ने उपस्थित होकर अवसर चाहा। उन्होंने निवेदन किया कि उन्होंने अधिवक्ता अयाची को सूचित कर दिया है तथा उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थनानुसार प्रकरण दो सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति